राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प0 14(1)/चिस्वा/2/2012 जयपुर, दिनांक 8.8.12

कार्यालय ... (...) जयपुर
09 AUG 2012
क्रमांक ... 429

V. Impt.

AAO Sb
Circulate to All ADC's & DCO's

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज.

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राज.

विषयः– औषधि नियंत्रण संगठन के जिला कार्यालयों को पानी/बिजली दिलवाये जाने के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत औषधि नियंत्रण संगठन विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का ही अभिन्न अंग होने के कारण संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था हेतु एन.आर.एन.आर.एच.एम. की पीआईपी 2010–11 में कार्यरत हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके आधार पर प्रदेश के चिकित्सा विभाग के कार्यालय भवनों के ऊपर ही 2 से 4 तक कमरों का निर्माण कराया गया है। इन कमरों में बिजली एवं पानी की अलग से व्यवस्था (कनेक्शन) के बारे में बिजली एवं जलदाय विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि एक ही परिसर में स्थित राजकीय कार्यालयों में अलग कनेक्शन लेना अनिवार्य नहीं है अपितु परिसर में स्थापित कनेक्शन का विस्तार किया जा सकता है।

जिलों में औषधि नियंत्रण संगठन के स्थापित कार्यालयों में 2 से 6 कार्मिकों का स्टाफ है एवं नवनिर्मित कमरे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यालय भवन के ऊपर अथवा परिसर में ही बने है। इन कार्यालय भवन के कमरे के लिये अलग कनेक्शन लेने पर बिजली एवं पानी का खर्चा अलग से आयेगा जिससे राजकीय व्यय में बढ़ोत्तरी होगी।

अतः निदेशानुसार लेख है कि जिला कार्यालय में स्थित औषधि नियंत्रण संगठन के कार्यालयों को वहां पर स्थिति चिकित्सा विभाग के जिला कार्यालयों से ही पानी/बिजली दिलवाये जाने की व्यवस्था कराया जावे ताकि अनावश्यक राजकीय व्यय का भार नही पडे।

भवदीय

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर।
2. औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण संगठन, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

क्रमांक एफ/डी.सी/लेखा/भवन/2012/82 दिनांक 16-8-2012

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक एवं समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारियों की सूचनार्थ कृपया Net पर upload कराने का श्रम करें।

I/C I.T. Server Room (HQ)

AAO
Drug Control Organisation
Raj. Jaipur.